



2026:AHC:5803

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जनहित याचिका (पीआईएल) संख्या - 12 सन् 2026

अमर कुमार

..... याचिककर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

.... प्रतिवादी(गण)

याचिककर्ता(गण) के अधिवक्ता: अमित कुमार गुप्ता, श्याम धर गुप्ता

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 55

माननीय न्यायमूर्ति श्री चन्द्र कुमार राय

1. याचिककर्ता के विद्वान अधिवक्ता को निर्देश दिया जाता है कि वे दिन के दौरान श्री भूपेन्द्र कुमार त्रिपाठी, विद्वान अधिवक्ता, जो भूमि प्रबन्ध समिति, जौनपुर की ओर से उपस्थित हो रहे हैं, को इस जनहित याचिका की प्रति तामील करें।

2. याचिककर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री टी.पी. गुप्ता, राज्य-प्रतिवादीयों के विद्वान स्थायी अधिवक्ता एवं प्रतिवादी-भूमि प्रबन्ध समिति के विद्वान अधिवक्ता श्री भूपेन्द्र कुमार त्रिपाठी को सुना गया।

3. यह याचिका निम्नलिखित प्राथना सहित दायर की गई है:

"ग्राम तिलंगा, परगना एवं तहसील मड़ियाहूँ, जिला जौनपुर में स्थित ग्राम सभा सम्पत्ति 22/0.158 हेक्टेयर (पशु चिकित्सालय हेतु आरक्षित) के 0.004 हेक्टेयर क्षेत्र को नानकू पुत्र छेदी लाल के अवैध अतिक्रमण एवं निर्माण से एक निश्चित और अल्प अवधि के भीतर में रिक्त कराने हेतु सम्बन्धित प्रतिवादीयों को परमादेश की प्रकृति का रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए।"

4. याचिककर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि तहसीलदार द्वारा उ.प्र. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अन्तर्गत बेदखली एवं हर्जाने का आदेश पारित किये जाने के बावजूद, उक्त आदेश का मौके पर उचित रीति से प्रभाव नहीं दिया गया है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि उ.प्र. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



के अनुपालन में विचाराधीन भूखण्ड से अवैध अतिक्रमण हटाने हेतु उचित निर्देश जारी किया जाए।

5. मैंने याचिककर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है एवं अभिलेखों का परिशीलन किया है।

6. इस तथ्य में कोई विवाद नहीं है कि विचाराधीन भूखण्ड के सम्बन्ध में उ.प्र. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अन्तर्गत बेदखली एवं हर्जाने का आदेश पारित किया गया था।

7. उ.प्र. राजस्व न्यायालय नियमावली के पैरा 460 के अन्तर्गत उ.प्र. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अन्तर्गत पारित आदेश की तामीली हेतु उपबन्ध विहित किया गया है, अतः इस जनहित याचिका को उ.प्र. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अन्तर्गत पारित आदेश की तामीली हेतु ग्राह्य नहीं किया जा सकता।

8. यह जनहित याचिका इस टिप्पणी के साथ खारिज की जाती है कि उ.प्र. राजस्व न्यायालय नियमावली के पैरा 460 के अन्तर्गत विहित विधि के अनुसार उचित कार्यवाही प्रारम्भ की जा सकती है।

(न्यायमूर्ति चन्द्र कुमार राय)

9 जनवरी, 2026

रमीज़